



# डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: सम्ब0/1311/2024 दिनांक:—30.03.2024

## कार्यालय—ज्ञाप

शासन के ऑनलाइन पोर्टल <http://henoc.upsdc.gov.in> के माध्यम से नवीन महाविद्यालय एवं पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में नवीन अतिरिक्त विषय/पाठ्यक्रम एवं स्थायी/अधेत्तर सम्बद्धता प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा निर्धारित समय—सारिणी के अनुसार नियमानुसार निरीक्षण मण्डल गठन हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया गया है। ऐसे समस्त महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण मण्डल का गठन कर दिया गया है। महाविद्यालय गठित निरीक्षण मण्डल के सदस्यों से सम्पर्क कर महाविद्यालय का स्थलीय भौतिक निरीक्षण किये जाने हेतु समय एवं तिथि निर्धारित कर लें अन्यथा कि स्थिति में शासन द्वारा निर्धारित तिथि के उपरान्त निरीक्षण मण्डल के किसी भी सदस्य की असहमति की दशा में नाम परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा। उक्त की सूचना पूर्व में भी प्रेषित की जा चुकी है।

उक्त से अवगत होते हुये विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण से महाविद्यालय का भौतिक सत्यापन कराकर (प्रारूप-29 बिन्दु एवं 11 बिन्दु) निरीक्षण आख्या शासन के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड होने के उपरान्त अतिशीघ्र सदस्य—सचिव के माध्यम से 02 प्रति सुसंगत अभिलेखों सहित पत्रावली विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सदस्य—सचिव, गठित पैनल को इस आशय से प्रेषित कि निरीक्षण सम्बन्धी प्रक्रिया जितने महाविद्यालयों की पूर्ण कर ली गई हो उनकी आख्या अतिशीघ्र ऑनलाइन अपलोड करते हुये आख्या 02 प्रति में विश्वविद्यालय को उपलब्ध करने का कष्ट करें।
2. अधीक्षक—कुलपति सचिवालय, मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. प्राचार्य/सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
4. बेवसाइट प्रभारी को इस आशय से प्रेषित कि सूचना को विश्वविद्यालय बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाइल।

कुलसचिव  
पंकज

कुलसचिव



# डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: सम्ब0/13.11./2024 दिनांक:—30.03.2024

## कार्यालय—ज्ञाप

शासन के ऑनलाइन पोर्टल <http://henoc.upsdc.gov.in> के माध्यम से नवीन महाविद्यालय एवं पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में नवीन अतिरिक्त विषय/पाठ्यक्रम एवं स्थायी/अग्रेत्तर सम्बद्धता प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा निर्धारित समय—सारिणी के अनुसार नियमानुसार निरीक्षण मण्डल गठन हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया गया है। ऐसे समस्त महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण मण्डल का गठन कर दिया गया है। महाविद्यालय गठित निरीक्षण मण्डल के सदस्यों से सम्पर्क कर महाविद्यालय का स्थलीय भौतिक निरीक्षण किये जाने हेतु समय एवं तिथि निर्धारित कर लें अन्यथा कि स्थिति में शासन द्वारा निर्धारित तिथि के उपरान्त निरीक्षण मण्डल के किसी भी सदस्य की असहमति की दशा में नाम परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा। उक्त की सूचना पूर्व में भी प्रेषित की जा चुकी है।

उक्त से अवगत होते हुये विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण से महाविद्यालय का भौतिक सत्यापन कराकर (प्रारूप—29 बिन्दु एवं 11 बिन्दु) निरीक्षण आख्या शासन के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड होने के उपरान्त अतिशीघ्र सदस्य—सचिव के माध्यम से 02 प्रति सुसंगत अभिलेखों सहित पत्रावली विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कुलसचिव

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सदस्य—सचिव, गठित पैनल को इस आशय से प्रेषित कि निरीक्षण सम्बन्धी प्रक्रिया जितने महाविद्यालयों की पूर्ण कर ली गई हो उनकी आख्या अतिशीघ्र ऑनलाइन अपलोड करते हुये आख्या 02 प्रति में विश्वविद्यालय को उपलब्ध करने का कष्ट करें।
2. अधीक्षक—कुलपति सचिवालय, मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. प्राचार्य/सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
4. बैंकसाइट प्रभारी को इस आशय से प्रेषित कि सूचना को विश्वविद्यालय बैंकसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाइल।

कुलसचिव  
अधीक्षक